न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश
ग्वालियर, सर्किट कोर्ट, रीवा, (म.प्र.)

श्री टी.पी. सोंधिया एड.
द्वारा पेश 19-9-14

20 COURT FEE बीस TWENTY RUPEES

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

R. 3502-III/14

565
19.9.14

रामकृपाल यादव तनय श्री मुंडा यादव, उम्र लगभग 85 वर्ष, निवासी ग्राम दुआरी, तहसील गुढ, जिला–रीवा (म.प्र.)

.... निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1. रविनंदन प्रसाद तनय बसंतलाल शुक्ल, उम्र 45 वर्ष, पेशा नौकरी,
2. अरविन्द शुक्ल तनय प्रयागदत्त शुक्ल, उम्र 44 वर्ष, पेशा नौकरी,

   दोनों निवासी ग्राम दुआरी, तहसील गुढ, जिला–रीवा (म.प्र.)
3. मध्यप्रदेश शासन, जरिए कलेक्टर, रीवा (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

क्रमांक 3225
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ... 29-9-14 को ...
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध सीमांकन आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल दुआरी, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म.प्र.) के सीमांकन प्रक. क्र. 6/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दि. 26.07.2014 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य :–

अनावेदकगण/गैर निगरानीकर्तागण द्वारा आराजी खसरा नंबर 249/2 रकबा, 0.405 हेक्ट. स्थित ग्राम दुआरी, तहसील गुढ़, जिला–रीवा (म.प्र.) के सीमांकन आवेदन आवेदन, राजस्व निरीक्षक मण्डल दुआरी, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म.प्र.) के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R3502-III/14 जिला–रीवा

रामकृपाल यादव/ रविनन्दन प्रसाद शुक्ला

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री टी0पी0 सोंधिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल दुआरी, तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 6/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	—